महाभारत में पाप, पुण्य, प्रायश्चित्त एवं व्यवहार

(मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों के विशेष परिप्रेक्ष्य में)

संस्कृत विषय में पी- एच० डी०

की उपाधि हेतु प्रस्तावित

रूपरेखा

2018

निर्देशिका

प्रो० (श्रीमती) अगम कुलश्रेष्ठ

संस्कृत विभाग, कला संकाय

शोधार्थिनी

पूनम

(एम० ए०, एम० फिल्)

संकाय प्रमुख

प्रो० जे० के ० वर्मा
कला संकाय

विभागाध्यक्ष

प्रो० (श्रीमती) अगम कुलश्रेष्ठ
संस्कृत विभाग, कला संकाय

अध्ययन का क्षेत्र : साहित्य

दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट
(कला संकाय)
(डीम्ड यूनिवर्सिटी) दयालबाग, आगरा-**282005**

अध्ययन का उद्देश्य

संस्कृति मानव समाज के इतिहास की गरिमामय धरोहर एवं अमूल्य निधि है। यह हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में व्याप्त है। विश्व में अनेक संस्कृतियाँ विद्यमान हैं; उनसबमें भारतीयसंस्कृति का स्थान सर्वोच्च है। भारतीय संस्कृति का अनुपम एवं भव्य रूप हमें आर्ष-महाकाव्यों में मिलता है। काव्य प्रतिभा सम्पन्न; लौकिक कवियों की कृतियों से विशिष्ट और पृथक् महाकाव्य; रामायण एवं महाभारत आर्ष महाकाव्य हैं। आर्षकाव्य लौकिक काव्यों की अपेक्षा उच्चतर महत्ता से मण्डित अचिन्त्य काव्यसम्पद्विलसित उपजीव्य काव्यों की कोटि में परिगणित होते हैं। महाभारत; भारतीय संस्कृति का एक सशक्त स्तम्भ है। महाभारत के विकास के तीन चरण माने जाते हैं- १. जय २. भारत३. महाभारत।

महाभारत में अट्ठारह पर्व हैं-आदिपर्व, सभापर्व, वनपर्व, उद्योगपर्व, भीष्मपर्व, द्रोणपर्व, कर्णपर्व, शल्यपर्व, सौप्तिकपर्व, स्त्रीपर्व,शान्तिपर्व, अनुशासनपर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिकपर्व, मौसेलपर्व, महाप्रस्थानिकपर्व और स्वर्गारोहणपर्व एवं सौ उपपर्व हैं।

महाभारत के रचयिता वेदव्यास पराशर मुनि के पुत्र माने जाते हैं। उनकी माँ सत्यवती थीं।यमुना के अज्ञात नाभाद्वीप में उनका जन्म हुआ था और केवटपति दासराज ने उनका पालन-पोषण किया था। श्रद्धा से इनको बादरायण पाराशर्य श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास कहा जाता है। विराट् हिमवान् के सानिन्नध्य के बद्रिकाश्रम में तत्त्व ज्ञान प्राप्त करने के कारण व्यास को बादरायण कहा जाता है। कृष्णवर्ण के कारण 'श्रीकृष्ण' तथा यमुना नदी के किसी द्वीप में उत्पन्न होने के कारण द्वैपायन कहा गया। वेदरूपी ज्ञानराशि को चार संहिताओं में विभक्त करने के कारण इन्हें वेदव्यास की संज्ञा दी गई। महाभारत उनके तीन वर्षों की अथक साधना की कृति है।

पुरातत्त्वविद् महाभारत की रचना मनुस्मृति से पूर्व मानते हैं तथा वैदेशिक विद्वानों ने मनुस्मृति तथा महाभारत में वर्णित राजधर्म की तुलना करके यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि महाभारत के ये अंश मनुस्मृति से पूर्व के हैं। अनेक भारतीय विद्वानों ने भी इसी मत को मान्यता दी है परन्तु भारत के प्रसिद्ध विद्वान् महामहोपाध्याय पाण्डुरंग वामन काणे महोदय ने यह अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि वर्तमान

मनुस्मृति; वर्तमान महाभारत से पूर्व की लिखी हुई है। काणे महोदय लिखते है कि वर्तमान मनुस्मृति के लेखक के सम्बन्ध में एक बात यह भी विचारणीय है कि महाभारत ने स्वयंभू मनु और प्राचेतस मनु दो भिन्न व्यक्ति माने हैं इनमें स्वयंभू धर्म के तथा प्राचेतस अर्थशास्त्र के प्रवर्तक माने गए हैं। यह सम्भव है कि प्रारम्भ में दोनों शास्त्र पृथक् रहे हों और बाद में किसी ने(वह कोई भी हो) दोनों को मिलाकर वर्तमान स्वरूप दे दिया हो।शान्तिपर्व(५९ अ०) में मिलता है कि मनु का एक मौलिक ग्रन्थ था । जिसमें से महाभारत के प्राथमिक (आदिपर्व) तथा मनुस्मृति दोनों ने अपना-अपना विषय लिया था अतः मनुस्मृति और महाभारत में जहाँ पर विषय की समानता है वह एक दूसरे के ऊपर निर्भर न होकर एक स्त्रोत से प्राप्त थे।(पी० वी० काणे: धर्मशास्त्र का इतिहास पृष्ठ १३९)

महाभारत में ऐसे अनेक स्थल हैं-प्राय: प्रत्येक पर्व में-जहाँ "मनुरब्रवीत्" मनु के राजधर्म, मनु का शास्त्र आदि नामत: निर्दिष्ट है। इसके अतिरिक्त महाभारत में सैकड़ों श्लोक ऐसे मिलते हैं जो मनुस्मृति के समान ही हैं यद्यपि वहाँ मनु का नामोल्लेख नहीं है। व्यूलर लिखते हैं कि वन, शान्ति और अनुशासन इन तीन पर्वों में ही मनु के २६० ऐसे श्लोक हैं जो या तो पूरे पूरे अथवा अंशत: मनुस्मृति के हैं। काणे महोदय लिखते हैं कि इससे आपातत: यह सिद्ध होता है कि प्राचीनता में महाभारत की अपेक्षा मनुस्मृति का पक्ष प्रबल है।

(पी० वी० काणे: धर्मशास्त्र का इतिहास पृष्ठ १४०)

हिन्दू विधि के निर्माण में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, नारदस्मृति, पराशरस्मृति तथा कात्यायन आदि स्मृतियों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य एवं कात्यायन को स्मृतित्रय के रूप में विधि में मान्यता मिली है।मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियाँउपलब्ध हैं जिन पर हमारी हिन्दू विधि का निर्माण हुआ यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि वर्तमान हिन्दू विधि के तीन परम्परागत प्राचीन स्त्रोत हैं और तीन आधुनिक स्त्रोत है। परम्परागत स्त्रोत वेद, स्मृति, सदाचार या प्रथाएँ।

(हिन्दू विधि, आर०आर०मौर्य, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहबाद, १९९६)

मनुस्मृति में प्राचीन स्त्रोतों को इस प्रकार कहा है-

वेदोऽखिलों धर्म मूलं स्मृति शीले च तद्विदाम्।

आचारश्चैव साधूनामात्मतुष्टिरेव च ।।(मनुस्मृति २/६)

हिन्दू विधि के आधुनिक स्त्रोतों में पूर्ववत रूढ़ियाँ या प्रथाएँ विधायन या न्यायायिक निर्णय आते हैं इस प्रकार मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृति विधि या कानून के प्रबल सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थ हैं। सभी स्मृतियों का विभाजन आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त इन तीन रूपों में हुआ है। मेरे शोध का शीर्षक महाभारत में पाप, पुण्य, प्रायश्चित्त विषय को इन्हीं दोनों स्मृतियों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

महाभारत महाकाव्यहै, गूढ़ार्थमय ज्ञान-विज्ञान-शास्त्र है, धर्मग्रन्थ है,राजनीतिक दर्शन है, कर्मयोग दर्शन है, भक्तिशास्त्र है, अध्यात्मशास्त्र है, आर्य जाति का इतिहास है और सर्वार्थसाधक तथा सर्वशास्त्रसंग्रह है।यद्यपि महाभारत ऋषि प्रणीत महाकाव्य है और उसमें तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण है। तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिकएवं धार्मिक व्यवस्था, प्रजा के अधिकार एवं कर्त्तव्यआदि विषयों का चित्रण महाभारत में है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। महाभारत में यदि श्रीकृष्ण, भीष्मपितामह जैसे चरित हैं तो दुर्योधन, दु:शासन तथा शकुनि जैसे व्यक्ति भी थे। महाभारत हमें करणीय तथा अकरणीय का सन्देश अपनी मधुर शैली मेंदेता है। महाभारतकालीन समाज में पाप, पुण्य, प्रायश्चित्त और व्यवहार किस रूप में थे यह एक जिज्ञासा का विषय है।

पाप शब्द का अभिप्राय है-बुरे कामों से उत्पन्न होने वाला वह अदृष्ट जिससे मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। ऐसा अदृष्ट उत्पन्न करने वाला कृत्य, कुकृत्य, अधार्मिक कृत्य जैसे- हिंसा, चोरी आदि पाप कहलाते हैं।

पाप की परिभाषादेना कठिन है। पाप या पातक ऐसा शब्द है जिसका आचार शास्त्र की अपेक्षा धर्म से अधिक सम्बन्ध है। सामान्यत: ऐसा कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा कृत्य है जो ईश्वर या उसके द्वारा प्रकाशित किसी व्यवहार (कानून) के उल्लंघन अथवा जान-बूझकर उसके विरोध से उद्भूत होता है जो कि किसी प्रमाणिक ग्रन्थ में अभिव्यक्त रहती है, अथवा यह उस ग्रन्थ में पायेजाने वाले नियमों के पालन में असफलता का परिचायक है। मनुस्मृति में पाप कामकृत और अकामकृत दो प्रकार का कहा गया है।१.

कामकृत पापअर्थात् जो जान-बूझकर किया जाए। २. अकामकृत पाप अर्थात् जो यों ही बिना जाने बूझे या अनजाने में हो जाए।

पाप को कई श्रेणियों में बाँटा जा सकता है जैसे- महापातक, उपपातक, जातिभ्रंश,संकरीकरण, अपात्रीकरण एवं मलावह। मनुस्मृति में महापातक के पाँच भेद माने हैं- ब्रह्महत्या, सुरापान, स्तेय, गुरूअंगनागमन तथामहापातकी-संसर्ग महापाप कहे गए हैं

ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः।

महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तैः सह।। (मनु० ११/५४)

तथाब्रह्महा मद्यपः स्तेनोगुरूतल्पग एव च।

एते महापातकिनो यश्च तैः सह संवसेत।।(याज्ञवल्क्य५/२२७)

इस प्रकार ब्रह्महत्या प्रथम पाप है।ब्रह्महत्याया वध शब्द का प्रयोग उस कर्म के लिए होता है जिसके करने से तुरन्त या कुछसमय उपरान्त बिना कोई अन्य कारण उपस्थित हुए जीवन की हानि होती है।ब्राह्मण या किसी की भी मृत्यु के लिए पाँच प्रकारों से वधिक कारण हो सकता है-१कर्ता२. प्रयोजक ३.अनुमन्ता ४ अनुग्राहक ५. निमित्त।

सुरापान का अर्थ है मदिरापान। इसे द्यूत के समान ही पापमय माना गया है। सुरापान का तात्पर्य है सुरा को गले के नीचे उतार देना। मनुस्मृति के अनुसार सुरा भोजन का मल है और यह तीन प्रकार की होती है-१. जो गुड़ या सीरा से बने२. जो आटे से बने एवं ३. जो मधु से बनी हो। जो भी इसका सेवन करता है वह पाप का भागी होता है।

सुरां वै मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते।

तस्माद्ब्राह्मणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिबेत्।। (मनु०११/९३)

तथानिषिद्धभक्षणं जैह्म्यमुत्कषे च वचोऽनृतम्।

रजस्वलामुखास्वादःसुरापानसमानि तु।।

(याज्ञवलक्य ५/२२९)

स्तेय का अर्थ है चोरी। जब कोई व्यक्ति गुप्त या प्रकट रूप से दिन या रात्रि में किसी को उसकी सम्पत्ति से वंचित कर देता है तो चोरी कहलाती है।चोरी के अन्तर्गत धरोहर, मनुष्य, घोड़ा, चाँदी, भूमि, वज्र और मणि आदि सम्मिलित हैं।

निक्षेपस्यापहरणं नराश्वरजतस्य च।

भूमिवज्रमणीनां च रूक्मस्तेयसमं स्मृतम्।। (मनु० ११/५७)

तथा

अश्वरत्नमनुष्यस्त्रीभूधेनुहरणं तथा।

निक्षेपस्य च सर्वं हि सुवर्णस्तेयसंमितम्।। (याज्ञवल्क्य ५/२३०)

गुरू-अंगनागमन-गुरूस्त्रीगमन के अन्तर्गत सगी बहन, कुआँरी, चांडाली और मित्र तथा पुत्र की स्त्री; इनमें वीर्यसिंचन करना, गुरूपत्नी गमन के समान कहा है-

रेत: सेक: स्वयोनीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च।

सख्यु: पुत्रस्य च स्त्रीषु गुरूतल्पसमं विदु:।। (मनु० ११/४/)

तथासखिभार्याकुमारीषु स्वयोनिष्वन्त्जासु च।

सगोत्रासु सुतसत्रीषु गुरूतल्पसमं स्मृतम्।। (याज्ञल्क्य५/२३१)

इन महापापों के अतिरिक्त कुछ उपपातक भी होते थे जैसे- जातिभ्रंश, संकरीकरण, अपात्रीकरण तथा मलावह उपपातक है जो कामकृत तथा अकामकृत होते हैं।

महापातकी-संसर्ग

जो लगातार एक साल तक चार महापातकियों का अति संसर्ग करता है अथवा उनके साथ रहता है तो वह भी महापातकी हो जाता है।

महाभारत में कामकृत पाप

महाभारत में स्थल-स्थल पर कामकृत व अकामकृत पापों के प्रसंग हैं जैसे-

१. ब्रह्महत्या

इन्द्र नाम से प्रसिद्ध एक प्रजापति थे।उन्होंने इन्द्र के प्रति द्रोहबुद्धि हो जाने के कारण ही तीन सिरवाला एक पुत्र उत्पन्न किया। वह सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि के समान तेजस्वी एवं भयंकर अपने उन तीनों मुखों द्वारा इन्द्र का स्थान पाने की प्रार्थना करता था। इन्द्र ने सोचा कि कहीं यह मेरा स्थान न ले ले ऐसा सोचकर इन्द्र ने अपने वज्र के प्रहार से उसका वध कर दिया।

सपपात हतस्तेन वज्रेण दृढ़माहतः।

पर्वतस्येव शिखरं प्रणुन्न मोदिनीतले।। **(उद्योगपर्व ९/२४)**

इसी प्रकार अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के पाँच पुत्रों का वध (सौप्तिक पर्व ८/५४), कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों द्वारा जमदग्नि मुनि की हत्या (वनपर्व ११६ /२७-२८) आदि अनेक प्रसंग महाभारत में मिलते हैं।

२. सुरापान

विराट पर्व में वर्णित है कि कीचक सुरापान करता था। कीचक अनेक पर्वों एवं उत्सवों पर घर में मदिरा मँगवाकर मदिरा पान करता था।

पर्वणि त्वं समुद्दिश्य सुरामन्नं च कारय।

तन्नैनां प्रेषयिष्यामि सुराहारीं तवान्तिकम्।। **(विराट्पर्व १५/५)**

३. स्तेय

शंख और लिखित नामक दो भाई थे। दोनों ही कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। बाहुदानदी के तट पर उन दोनों के अलग-अलग परम सुन्दर आश्रम थे,जो सदा फल-फूलों से लदे रहने वाले वृक्षों से सुशोभित थे। एक दिन लिखित शंख के आश्रम में आकर बिना पूछे उनके आश्रम से फल तोड़कर खाने लगे। शंख आश्रम में आये तभी भाई को फल खाता देख शंख ने उनसे पूछा, तुमने ये फल कहाँ से प्राप्त किये हैं और किस लिये तुम इन्हेंखा रहे हो। लिखित नेइस प्रकार कहा- भैया, मैंने ये फल

यहीं से लिए हैं तब शंख ने तीव्ररोष में भरकर कहा- तुमने मुझसे बिना पूछे स्वयं ही फल लेकर यह चोरी की है-

तमब्रबीत् तथा शंखस्तीव्ररोषसमन्वित:।

स्तेयं त्वया कृतमिदं फलान्याददता स्वयम्।। (शान्तिपर्व२३/२५)

जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का अपहरण भी स्तेय अपराध में आता है।बारह वर्ष वनवास भोग रहे पाण्डवों के साथ द्रौपदी भी वन में निवास कर रही थीं। तब जयद्रथ के साथी आश्रम में आकर द्रौपदी को पकड़कर ले जाना चाहते थे। इतने में ही जयद्रथ ने द्रौपदी की ओढ़नी का छोर पकड़ लिया और जयद्रथ के द्वारा खींची जाने के कारण बाध्य होकर वह रथ पर बैठ गयी। इस प्रकार बलपूर्वक जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण कर लिया।

प्रग्रह्यमाणा तु महाजवेनमुहुर्विनि:श्वस्य च राजपुत्री।

सा कृष्यमाणा रथमारूरोहधौम्यस्य पादावभिवाद्य कृष्णा।। (वनपर्व२६८/२५)

४. **गुरू-अंगनागमन**

यवक्रीत ने रैभ्य मुनि की पुत्रवधू के साथ व्यभिचार किया था। एक दिन वैशाखमास में यवक्रीत रैभ्यमुनि के आश्रम में गया। उस आश्रम में रैभ्य मुनि की पुत्रवधू किन्नरी के समान विचर रही थी। यवक्रीत ने उसे देखा। देखते ही वह कामके वशीभूत हो अपनी विचार शक्ति खो बैठा और वह मुनिउस वधू से निर्लज्ज होकर बोला सुन्दरी! तू मेरी सेवा में उपस्थित हो। वह यवक्रीत के शील-स्वभावको जानकर भी उसके शाप से डरती थी। साथ ही उसे रैभ्य मुनि की तेजस्विता काभीस्मरण था। अत: बहुत अच्छा कहकर उसके पास चली गयी । तब यवक्रीत नेउसे एकान्त में ले जाकर पाप के समुद्र में डुबो दिया।

तत एकान्तमुन्नीय मज्जयामास भारत।

आजगाम तदा रैभ्य: स्वमाश्रममरिंदम।। (वनपर्व१३६/५)

५. **महापातकी-संसर्ग** भी पूर्वोक्त चारों के समान महापाप है।पूर्वकाल में माण्डव्य नाम से विख्यात् एक ब्राह्मण थे जो धैर्यवान् एवं सब धर्मों के ज्ञाता, सत्यनिष्ठ एवं तपस्वी थे। वे अपने आश्रम के द्वार पर एक वृक्ष के नीचे दोनों बाहें ऊपर उठाये हुए मौन व्रत धारण करके खड़े रहकर तपस्या कर रहे थे। उस कठोर तपस्या में लगे हुए महर्षि के बहुत दिन व्यतीत हो गये। एक दिन उनके आश्रम पर चोरी का माल लिये हुए बहुत से लुटेरे आये। उन चोरों का बहुत से सैनिक पीछा कर रहे थे। वे दस्यु चोरी का माल महर्षि के आश्रम में रखकर प्रजा-रक्षक के भय से वहीं कहीं छिप गये। चोरों का पीछा करने वाले राजपुरूषों ने इस प्रकार तपस्या में लगे हुए उन महर्षि को देखा। महर्षि से पूछे जाने पर महर्षि ने कुछ नहीं कहा। तब उन राजपुरूषों ने उस आश्रम में ही चोरों को खोजना आरम्भ किया और वहीं छिपे हुए चोरों के माल को भी देख लिया। रक्षकों को मुनि के प्रति मन में संदेह उत्पन्न हो गया और वे रक्षक, ऋषि और चोरों को पकड़कर राजा के पास ले गये।

ततस्ते राजपुरूषा विचिन्वानास्तमाश्रमम्।

ददृशुस्तत्र लीनांस्तांश्चौरांस्तद्र द्रव्यमेव च।।

ततः शंका समभवद् रक्षिणां तं मुनिं प्रति।

संयम्यैनं ततो राज्ञे दस्यूंश्चैव न्यवेदयन्।।

(आदिपर्व १०६/१०-११)

यद्यपि माण्डव्य ऋषि को चोरों के इस कृत्य का पता न था तथापि महापातकी संसर्ग के दोषी हुए।

महाभारत में अकामकृत पाप

महाभारत में वर्णित है कि परावसु द्वारा अनजाने में अपने पिता रैभ्य मुनि की हत्या कर दी गई थी। सौभाग्यशालीएवं प्रतापी नरेश वृहद्द्युम्न ने एक यज्ञ का अनुष्ठान कियाजिसमें रैभ्य के दोनों पुत्रों अर्वावसु तथा परावसु को सहयोगी बनाया। पिता की आज्ञा पाकर वे दोनों भाईराजा के यज्ञ में चले गये। आश्रम में केवल रैभ्य मुनि तथा उनके पुत्र परावसु की पत्नी रह गयी। एक दिन घर की देखभाल करने के लिए परावसु अकेले ही आश्रम पर आये। उस समय उन्होंनेकाले मृगचर्म से ढके हुए अपने पिता को वन में देखा। रात्रि का पिछला पहर बीत रहा था और अन्धकार शेष था। परावसु नींद से अन्धे होरहे थे अतः

उन्होंने गहन वन में विचरते हुए अपने पिता को हिंसक पशु समझकर धोखे से हत्या कर दी। यद्यपि वे ऐसाकरना नहीं चाहते थे, तथापि हिंसक पशु से अपने शरीर की रक्षा के लिए उनके द्वारा यह क्रूरतापूर्ण कार्य बन गया।

मृगं तु मन्यमानेन पिता वै तेन हिंसितः।

अकामयानेन तदा शरीरत्राणमिच्छता।। **(वनपर्व १३६/६)**

राजा पाण्डु के द्वारा भी मृगरूपधारी मुनि का वध किया गया था।एक समय राजा पाण्डु मृगों और सर्पों से सेवित विशाल वन में विचर रहे थे। उन्होंने मृगों के एक यूथपति को देखा, जो मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। उस मृग के रूप में महातेजस्वी तपोधन ऋषिपुत्र थे, जो अपनी मृगीरूपधारिणी पत्नी के साथ तेजस्वी मृग बनकर समागम कर रहे थे। उसे देखते ही राजा पाण्डु ने पाँच सुन्दर एवं सुनहरे पंखों से युक्त तीखे तथा शीघ्रगामी बाणों द्वारा, उस मृगी और मृग को भी बींध डाला।

ततस्तां च मृगीं तं च रूक्मपुङ्खैः सुपत्रिभिः।

निर्बिभेद शरैस्तीक्ष्णैः पाण्डुः पञ्चभिराशुगैः।।

स च राजन् महातेजा ऋषिपुत्रस्तपोधनः।

भार्यया सह तेजस्वी मृगरूपेण संगतः ।। **(आदिपर्व ११७/६-७)**

इस प्रकार महाभारत में अकामकृत के अनेक प्रसंग मिलते हैं।

पुण्य

मनुष्य में पुण्य करने की अभिलाषा बनी रहती है। यह वह कर्म है जिसे करने से मनुष्य को पुण्य प्राप्त होता है।कोई शुभ कर्म जिसे हम मन, आत्मा, विचारों से करते हैं जैसे-स्नान, दान आदि, पुण्य हैं।पुण्य ही प्राणों को धारण करता है इसलिये पुण्य प्राण दाता कहलाता है, अतः जिस-जिस उपाय से धर्म का आचरण हो सके वह पुण्य कहलाता है।

पुण्यं प्राणाद् धारयति पुण्यं प्राणदमुच्यते।

येन येनाचरेद् धर्मं तस्मिन् गर्हा न विद्यते।। **(आदिपर्व १५४/१५)**

महाभारत में पुण्य

महाभारत में यत्र-तत्र पवित्र कार्यों के अनेक उदाहरण हैं जैसे-

राजा उशीनर ने बाज को अपने शरीर का मांस देकर शरण में आये हुए कबूतर के प्राणों की रक्षा की थी। एक कबूतर बाज के डर से राजा के यहाँ आया। वह बहुत घबराया व डरा हुआ था। राजा ने उसके प्राणों की रक्षा की पर बाज राजा से बोला-मैं तो इसी कबूतर का भोजन करूँगा। राजा नेबाज से कहा कि यह कबूतर अपनी रक्षा चाहता है इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता अपितु भोजन के लिए जो कुछ अभीष्ट हो वह बताइए किन्तु शरण में आए हुए इस पक्षी को नहीं त्याग सकता। बाज ने राजासे कहा यदि आपका इस कबूतर पर स्नेह है तो इसी के बराबर अपना मांस काटकर तराजू में रखिये। पलड़े में रखा हुआ कबतूर उस मांस की अपेक्षा अधिक भारी निकला, तब महाराज उशीनर ने पुन: अपना मांस काटकर चढ़ाया। इस प्रकार बार-बार करने पर भी जबवह मांस कबूतर के बराबर न हुआ तब सारा मांस काट लेने के पश्चात् वे स्वयं ही तराजू पर चढ़ गये।

ध्रियमाण: कपोतस्तु मांसेनात्यतिरिच्यते।

पुनश्चोत्कृत्य मांसानिराजा प्रादादुशीनर:।।

न विद्यते यदा मांसं कपोतेन समं घृतम्।

तत उत्कृत्तमांसोऽसावारूरोह स्वयं तुलाम्।। (वनपर्व १३१/२७-२८)

घर में आए हुए अतिथि का सम्मान करना उसकी रक्षा करना मानव मात्र का कर्त्तव्य है।

अतिथि-सत्कार की भावना मनुष्य में ही नहीं अपितु पक्षियों में भीदेखने को मिलती है। जैसे-

पक्षियों की हिंसा करने वाला एक बहेलिया एक दिन कबूतर की शरण में जा पहुँचा। उस पक्षी ने पक्षियों की हिंसा से ही जीवन-निर्वाह करने वाले उस बहेलिए की ओर देखकर शास्त्रीयविधि के अनुसार यत्नपूर्वकउसका पूजन किया। कबूतर ने पृथ्वी पर बहुत से पत्ते लाकर रखदिए और बहेलिये को सर्दी से बचाने के लिए अग्नि प्रज्वलित करदी। फिर बाद में बहेलिए ने कबूतरसेकहा कि मुझे भूख सता रही है यह बात सुनकर कबूतरने कहा कि

मेरे पास सम्पत्ति तो नहीं है जिससे मैं तुम्हारी भूख मिटा सकूँ। कबूतर का मुख उदासहो गया। वह चिन्ता में पड़ गया। तब उसने सूखे पत्तों से आग प्रज्वलित की और अतिथि की उत्तम पूजा का निश्चय करके पक्षी ने तीनबार अग्नि देव की परिक्रमा की और हँसते हुए आग में प्रवेश किया।

ततः कृतप्रतिज्ञो वै स पक्षी प्रहसन्निव।

तमग्निं त्रिपरिक्रम्य प्रविवेश महामति।। (शन्तिपर्व १४६/२३)

महर्षि दधीचि ने वृत्रासुर से त्रस्त देवताओं को अस्थिदान किया था जो अत्यन्त पुण्यमय कृत्य था।

स एवमुक्त्वा द्विपदां वरिष्ठः।

प्राणान् वशी स्वान् सहसोत्ससर्ज।।

ततः सुरास्ते जगृहुः परासो।

रस्थीनि तस्याथ यथोपदेशम्।। (वनपर्व १००/२२)

राजा ययाति द्वारा भी ब्राह्मण को सहस्त्र गायों का दान किया गया था। एक ब्राह्मण गुरू-दक्षिणा देने के लिए भिक्षा माँगने की इच्छा से नहुष के पुत्र ययाति राजा के पास आये। राजा ने उन्हें लाल रंग की एक हजार गाय दान में दी।

इत्युक्त्वाब्राह्मणाय राजा गोसहस्त्रं ददौ।

प्राप्तवांश्च गवां सहस्त्रं ब्राह्मण इति।। (वनपर्व १९५/६)

इसप्रकार महाभारत पुण्य का आगार है। जिसमें विविध पुण्यों की अनेक सत्य घटनाएँ हैं।

प्रायश्चित्त

प्रायश्चित्त का अभिप्राय है, वह शास्त्रीय कृत्य विशेष जिसके करने से करने वाले का पाप छूट जाता है। परिशोध, पापनिष्कृति, क्षतिपूर्ति, पाप से निस्तार पाने के लिए धार्मिक साधना है।प्रायः का अर्थ तप और चित्त का अर्थ निश्चय है। तप और निश्चय मिलकर ही प्रायश्चित्त होता है।

प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते।

तपोनिश्चयसंयुक्तं प्रायश्चित्तमितिस्मृतम्।। (मनुस्मृति, अध्याय-११)

यद्यपि पाप निवृत्ति के लिए प्रयश्चित्त का विधान किया है किन्तु कभी-कभी जानकर किये हुये पाप का भी प्रायश्चित्त होता था।

अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विदुर्बुधाः। (मनु० ११/४५ पूर्वार्द्ध)

प्रायश्चित्तैरपैत्येनो यदज्ञापकृतं भवेत्।

(याज्ञवल्क्य ५/२२६ पूर्वार्द्ध)

मनुस्मृति में पंचमहापातकों के निमित्त किये गये प्रायश्चित्तों का विधान इस प्रकार किया गया है। वन में बारह वर्ष निवास करना, अग्नि शुद्धि करना, स्वल्पाहार करना, वृक्ष के नीचे वास करना, ब्राह्मण रक्षण या गोरक्षण, ब्राह्मण के धन की रक्षा करना, स्नान करना, प्राणायाम करना, गोमूत्र पीना, दूध, घी या गोबर का रस पीना, उच्छिष्ट जल पीना, पुराने वस्त्र धारण करना, पंचगव्य पीना, तप्त लोहे शय्या पर शयन, अंगोच्छेदन करना, गायत्री जप करना, होम करना, अश्वमेध, अभिजित्, विश्वजित् यज्ञ करना, अल्प भोजन करना, प्राजापत्य व्रत, कृच्छ्र सान्तपन व्रत, अतिकृच्छ्र व्रत, तप्त कृच्छ्र व्रत, पराकृच्छ्र व्रत, चान्द्रायण व्रत करना आदि अनेक प्रायश्चित्तों का विधान है।

महाभारत में अज्ञानवश पापों के लिए निम्न प्रायश्चित्त किए गए हैं। जैसे-

परावसु ने अपने पिता को अनजाने में मार दिया तब दण्ड से बचने के लिए अपने भाईके द्वारा ब्रह्महत्यासे मुक्त होने के लिए व्रत रूप प्रायश्चित्त करवाया

मया तु हिंसितस्तातो मन्यमानेन तं मृगम्।

सोऽस्मदर्थे व्रतं तात चर त्वं ब्रह्महिंसनम्।। (वनपर्व १३८/८-१/२)

राजा पाण्डु के द्वारा मृगरूपधारी मुनि का वध करने पर बारह वर्ष वन में रहकर तृप्तकिया जिसमें उन्होंने अल्प भोजन, चिथड़े, मृगचर्म और जटा धारण और मंत्र पाठों का जाप किया।

अग्नौजुह्वननुभौ कालावुभौ कालावुपस्पृशन्।

कृशःपरिमिताहारश्चीरचर्मजटाधरः।। (आदिपर्व ११८/३३)

व्यवहार

व्यवहार (पु. वि - अव हृ +धञ् = आचरण)शब्द का अर्थ है चालचलन, धंधा या व्यवसाय। वि शब्द का अर्थ है बहुत से, अव = सन्देह, हृ = हरने वाला।

अर्थात् आचार और नियम विरूद्ध जो किसी को तंग करे उस पर राजा के पास जो आवेदन किया जाता है उसको व्यवहार कहते हैं।

स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गेणाऽऽधर्षितः परैः।

आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्।। **(याज्ञवल्क्य २/५)**

व्यवहार का अर्थ झगड़े, विवाद या मुकदमे का विषय है। मनुस्मृति में झगड़े, विवाद या मुकदमे के १८ पद हैं-

१ दूसरे से ऋण लेने का ठहराव २. धरोहर धरना ३.दूसरे की वस्तु बेच देना४.साझे से व्यौहार करना ५ दान की हुईवस्तु को किसी कारण से लौटाना६ नौकर की तनखा रोकना ७.की हुई व्यवस्था से फिर जाना ८.खरीद विक्री का झगड़ा ९ .स्वामी और सेवक का झगड़ा१०.सीमा का विवाद

११.कठोर दण्ड१२.वचन की कठोरता१३.चोरी१४.साहस१५.स्त्री का संसर्ग१६. स्त्री पुरुष का धर्म १७. धन काविभाग १८. जुआ अथवा पशु और पक्षी का दाँव लगाकर युद्ध करना इन अट्ठारह बातों में ही मनुष्यों का झगड़ा होता है।

२

तेषामाघमृणादानं निक्षेपोऽस्वामिविक्रयः।

संभूय च समुथानं दत्तस्यानपकर्म च।।

वेतनस्येव चा दानं संविदश्च व्यतिक्रमः।

क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः।।

सीमाविवादधर्मश्च पारूष्ये दण्डवाचिके।

स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसंग्रहमेव च।।

स्त्रीपुंधर्मो विभाश्च द्यूतमाह्वय एव च।

पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह।। (मनु० १८/४-७)

जानबूझकर किए गए अपराध के लिए मृत्यु दण्ड,शारीरिक दण्ड, अर्थ दण्ड एवंदेश निष्कासन का दण्ड देनेका विधान है।इस प्रकार महाभारत में दण्ड देने के अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं जैसे-

१. लिखित ने अपने भाई शंख के आश्राम से फल चुराने का अपराध किया तब राजा सुद्युम्न ने लिखित के दोनों हाथ काट दिए।

ततः स पृथिवीपालो लिखितस्य महात्मनः।

करौ प्रच्छेदयामास धृतदण्डो जगाम सः।। (शान्तिपर्व २३/३६)

२. राजा के यहाँ से चोरी करने पर वे रक्षक ऋषि तथा चोरों को पकड़कर ले गए। राजाज्ञा से दोनों को शूली पर चढ़ाया गया। चोर जिनका कामकृत पाप था मर गये किन्तु माण्डव्य निष्पाप थे उन पर शूली का कोई असर न हुआ और राजा ने उनसे क्षमा याचना की।

तं राजा सह तैश्चौरैरन्वशाद् वध्यतामिति।

स रक्षिभिस्तैरज्ञातः शूले प्रोता महातपाः।। (आदिपर्व १०६/१२)

३. जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण किया तब युधिष्ठर ने भीम को शारीरिक दण्ड देने की आज्ञा दी। तब भीम ने उसके बाल काट कर सिर पर पाँच चोटी रख दी।

द्रौपदी चाब्रवीद् भीममभिप्रेक्ष्य युधिष्ठिरम्।

दासोऽयं मुच्यतां राज्ञस्त्वया पंचसटः कृतः।। (वनपर्व २७२/१८)

४. यवक्रीत के द्वारा रैभ्यमुनि की पुत्रवधू के साथ व्यभिचार करने पर यवक्रीत को रैभ्यमुनि ने मृत्युदण्ड दिया।

निग्रहीतं तु शूद्रेण यवक्रीतं स राक्षसः।

ताड्यामास शूलेन भिन्नहृदयोऽपतत्।। (वनपर्व १३६/१९)

वर्तमान न्याय पद्धति का उल्लेख करते हुए न्यायालय के चार प्रकार- १. अपराधिक (Criminal)न्यायालय २. व्यवहार (Civil)न्यायालय ३. राजस्व (Revenue)न्यायालय ४. कर(TaxAuthority)सम्बन्धी निर्णय । इन्हीं न्यायालयों के द्वारा अपराधी कोन्यायधीश के द्वारादण्ड दिया जाता है।

दण्ड व्यवस्था काअस्तित्व सम्पूर्ण समाज के लिए हितकर है। किसी देश के नागरिक शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। बिना किसी भय के अपने कार्यों का सम्पादन कर सके और अपने अधिकारों का स्वतन्त्रतापूर्ण प्रयोग कर सके, इसके लिए राज्य कानूनों का निर्माण करता है। यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो वह अपने राज्य की शान्ति औरसुरक्षा को संकट में डालता है, जिसके कारण किसी प्रकार की वैयक्तिक तथा सामाजिक उन्नति सम्भव नहीं होती।

शोध की अध्ययन सामग्री के रूप में महाभारत एवं मूल ग्रंथ, संग्रहालयों में उपलब्ध सन्दर्भ ग्रन्थ, विश्वकोश, शब्दकोश, एवं शोध पत्रिकाओं तथा इनके साथ इन्टरनेट, ई लाइब्रेरी, ई बुक्स, ई-गूगल आदि के माध्यम से प्राप्त सामग्री को एकत्रित कर अध्ययन किया जायेगा। शोध के न्यादर्श के रूप में महाभारत के मूल काव्यों के उदाहरणों का चयन कर उद्धरण कार्ड बनाएँ जायेंगे, जिसके माध्यम से शोधकार्य में अग्रिम दिशा प्रदान की जाएगी साथ ही विश्लेषणात्मक पद्धति से अध्ययन करते हुए शोध परिकल्पना को साकार करने का प्रयास किया जायेगा।

प्रारम्भ से ही मेरी जिज्ञासा महाभारत पर अध्ययन करने की थी इसलिए मैंने अपने शोध कार्य का विषय **"महाभारत में पाप, पुण्य, प्रायश्चित्त एवं व्यवहार"**विषय को चुना। **"महाभारत में पाप, पुण्य, प्रायश्चित्त एवंव्यवहार"** विषय पर अभी तक कोई शोध कार्य मेरे संज्ञान में नहीं हैं। भीमराव अम्बेडकर (आगरा) विश्वविद्यालय से डॉ० रंजना शुक्ला ने सन् १९८६ में**"प्रमुख स्मृतियों में वर्णित पाप, प्रायश्चित्त एवं दण्ड का आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में विशेष अध्ययन"** विषय पर डॉ० श्रीमती प्रभा

माधुनी के निर्देशन में शोध कार्य(शोध पुस्तिका नं० थी/४९ र १६ प्र) किया। इसी प्रकार डी० ई० आई संस्कृत विभाग में प्रीती गुप्ता ने सन् २०१२ में आर्ष महाकाव्यों में मानवाधिकार के अन्तर्गत पापों का वर्णन किया है। कीर्ति जादौन ने सन् २०१० में **“नारद स्मृति में व्यवहार”** पर संगीता गुप्ता ने सन् १९९९ में **“मनुस्मृति मेंपाप”**पर और मुक्ता ने सन् २०१० में **“पराशर स्मृति में प्रायश्चित्त”** पर लघु शोध कार्य किए हैं। महाभारत पर अन्य अनेक विषयों पर शोध कार्य हुए हैं किन्तु **“महाभारतमें पाप, पुण्य, प्रायश्चित्त एवं व्यवहार”** पर कोई कार्य मेरे संज्ञान में नहीं हुआ हैइसलिए मैंने इस विषय को चुना है। वर्तमान में पाप एवं भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है कि मनुष्य मानवता को भूलता जा रहा है। अत: इन्हीं तथ्यों को समझाने के लिए और उन पर विचार करने के लिए मैंनेअपने शोध का यह विषयचुना है। मैं कुल मालिक, परम शक्ति के चरण कमलों में अपने विषय का उद्देश्य और रूपरेखा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करती हूँ। आशा है कि विद्वज्जन मेरे इस प्रयास का अनुमोदन कर इस विषय को लेकर आगे कार्य करने की अनुमति प्रदान करेंगे।

रूपरेखा

महाभारत में पाप, पुण्य, प्रायश्चित्त एवं व्यवहार

(मनु एवं याज्ञवल्क्यस्मृतियों के विशेष परिप्रेक्ष्य में)

प्रथम अध्याय -पाप, पुण्य, प्रायश्चित्त एवं व्यवहार- परिभाषा

१. भारतीय संस्कृति एवं आर्षकवि वेदव्यास

२. पाप

(क) कामकृत पाप

(ख) अकामकृत पाप

३. पुण्य

४. प्रायश्चित्त

५. व्यवहार

द्वितीय अध्याय - महाभारत में पाप की अवधारणा

(क) महाभारत में कामकृत पाप

(ख) महाभारत में अकामकृत पाप

तृतीय अध्याय - महाभारत में पुण्य-विधान

चतुर्थ अध्याय - महाभारत में प्रायश्चित्त एवं व्यवहार का स्वरूप

पंचम अध्याय - महाभारत में पाप, पुण्य, प्रायश्चित्त एवं व्यवहार का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अध्ययन

उपसंहार

सन्दर्भ सूची

क्र. सं	पुस्तक	संपादक	प्रकाशन/वर्ष
१.	मनुस्मृति :	श्री पं० हरगोविन्द शास्त्री	चौखम्बा संस्कृत भवन वाराणसी
२.	याज्ञवल्क्य स्मृति	डॉ० गड्•गासागर राय	चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान ३८ यू. ए. जवाहर नगर, बंगलो रोड पो. बो. नं २११३ दिल्ली ११०००७
३.	नारद स्मृति	डॉ० ब्रज किशोर स्वाई	चौखम्बा संस्कृत भवन वाराणसी
४.	संस्कृत-वाड्•मय का बृहद् इतिहास (तृतीय खण्ड)	आचार्य श्री बलदेव उपाध्याय	उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ
५.	महाभारत समाज संस्कृति दर्शन	डॉ० सुरेन्द्र सिंह नेगी	के.एल. पचौरी प्रकाशन गाजियाबाद १९९७
६.	महाभारत में भारतीय संस्कृति	डॉ० सुजाता रानी रॉय	संजय प्रकाशन नई दिल्ली, २००२
७.	महाभारत चरित्र चर्चा	उपेन्द्र	नमन प्रकाशन नई दिल्ली १९९८
८.	धर्मसूत्रीय आचार संहिता	डॉ० नरेन्द्र कुमार	विधा निधि प्रकाशन, खजूरी खास दिल्ली १९९९
९.	स्मृति कालीन व्यवहार पद्धति	डॉ० प्यारे लाल चौहान	नाग प्रकाशन दिल्ली, १९८५
१०.	प्राचीन भारत में अपराध और दण्ड	डा० हरिहर त्रिपाठी	चौखम्बा, वाराणसी १९६४
११.	प्रमुख स्मृतियों का अध्ययन	डॉ० लक्ष्मीदत्त ठाकुर	हिन्दी समिति, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ
१२.	हिन्दू विधि	आर-आर मौर्य	सेन्ट्रल लॉ० एजेन्सी इलाहबाद, १९९३
१३.	हिन्दू विधि	वी० एन० त्रिपाठी	सेन्ट्रल लॉ० एजेन्सी इलाहाबाद, १९९३

सन्दर्भ सूची

क्र. सं	पुस्तक	संपादक	प्रकाशन / वर्ष
1.	मनुस्मुति	श्री पं0 हरगोविन्द शास्त्री	चौखम्बा संस्कृत भवन वाराणसी
2.	महाभारत	अनुवादक—साहित्याचार्य पण्डित रामनारायण शास्त्री पाण्डेय राम	गीताप्रेस, गोरखपुर
3.	विश्व के विविध धर्म	प्रो0 पी0 श्री राममूर्ति, उर्मिला आनन्द, प्रेमकली शर्मा, डॉ0 भगवती प्रसाद शर्मा	दयालबाग एजुकेषनल इन्स्टीट्यूट(डीम्ड विश्वविद्यालय)दयालबाग, आगरा
४	धर्मः स्वरूप एवं सन्दर्भ	डॉ० प्रभा शर्मा	महर्षि गौतम आश्रम, प्रकाशनिक कार्यालय

Websites

1- www.sahityakunj net

2- www.sahitya.akademi gov.in